रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 780] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 15, 2015/चैत्र 25, 1937
No. 780] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 15, 2015 /CHAITRA 25, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2015

का.आ.1013(अ).—केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 124 के उपनियम (1) के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 की उपधारा (3) और धारा 110 की उपधारा (1) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1365(अ) तारीख 13 दिसंबर, 2004 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

(2) उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं. 47 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"47.	(क) मानकों में विनिर्दिष्ट हाइब्रिड विद्युत यानों की अनुमोदित प्रकार।	समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-102 (भाग-1) – 2009 और एआईएस-102 (भाग-2) – 2010	1 अक्तूबर, 2012
	(ख) विद्युत के लिए प्रक्रिया और पायलट के लिए बाजार में उपलब्ध कराए गए हाईब्रिड विद्युत यान/सरकारी योजना के लिए आशयित निरुपण परियोजना के अनुमोदित प्रकार।	एआईएस-131 : 2015	अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त"।

[फा. सं. आरटी-11028/01/2015-एमवीएल]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1365(अ) तारीख 13 दिसंबर, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सं. का.आ. 2590(अ) तारीख 08.10.2014 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2015

S.O. 1013(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 109 and clause (k) of sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), read with sub-rule (1) of rule 124 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1365(E) dated the 13th December, 2004, published in Part-II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, namely:—

(2) In the said notification, in the Table, in serial number 47 and for the entries thereto, the following entries shall be substituted, namely:—

"47.	(a)	The type approval of hybrid electric vehicles specified in the standard.	AIS-102 (Part 1)-2009 and AIS 102 (Part 2)-2010, as amended from time to time.	1st October, 2012
	(b)	Type approval procedure for electric and hybrid electric vehicles introduced in market for pilot / demonstration projects intended for Government Scheme	AIS-131 : 2015	With effect from date of notification".

[F. No. RT-11028/01/2015-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 1365(E), dated the 13th December, 2004 and last amended vide number S.O. 2590(E) dated the 8th October, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.